# राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014

**(2014 का अधिनियम संख्यांक 18)**

**[17 जुलाई, 2014]**

**राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद नामक संस्था को डिजाइन से संबंधित सभी शाखाओं में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण में क्वालिटी और उत्कर्ष की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने तथा उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम**

**भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--**

**अध्याय 1**

## प्रारंभिक

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 हैं ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

2. **राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद को एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करना**—राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के नाम से ज्ञात संस्था के उद्देश्य चूंकि ऐसे हैं जो उसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाते हैं, अत: राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया जाता हैं ।

**3. परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --

(क) "अध्यक्ष" से धारा 11 के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट शासी परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ख) "संकायाध्यक्ष" से, किसी भी संस्थान निवेश, के संबंध में ऐसे संस्थान निवेश का संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "डिजाइन" से विकास क्षम उत्पादों और सेवाओं को संस्कृति अंतरण करने के प्रयोजन के लिए और उत्पादों और सेवाओं को प्रतियोगी तीक्ष्णता देने के लिए एक युक्तिसंगत, तर्कसम्मत और आनुक्रमिक नवीन प्रक्रिया अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत औद्योगिक डिजाइन, संचार डिजाइन, वस्त्र और परिधान डिजाइन, जीवनशैली डिजाइन, अनुभवात्मक डिजाइन, प्रदर्शनी डिजाइन, शिल्प और पारम्परिक सेक्टर डिजाइन भी आते हैं ;

(घ) "निदेशक" से धारा 18 के अधीन नियुक्त किया गया संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है ;

(ङ) "निधि" से धारा 23 के अधीन अनुरक्षित संस्थान की निधि अभिप्रेत है ;

(च) "शासी परिषद्" से धारा 11 के अधीन यथा गठित संस्थान की शासी परिषद् अभिप्रेत है ;

(छ) "संस्थान" से धारा 4 के अधीन निगमित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद अभिप्रेत है ;

(ज) "संस्थान निवेश" से कर्नाटक राज्य के बैंगलूरू और गुजरात राज्य के गांधीनगर में अवस्थित संस्थान का निवेश अन्यथा ऐसा निवेश अभिप्रेत है, जो संस्थान द्वारा भारत के भीतर या भारत के बाहर किसी स्थान में स्थापित किया जाए ;

(झ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ट) "रजिस्ट्रार" से संस्थान का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ;

(ठ) "सिनेट" से संस्थान की सिनेट अभिप्रेत है ;

(ड) "सोसाइटी" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद अभिप्रेत है ;

(ढ) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए संस्थान के परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं ।

**अध्याय 2**

## संस्थान

**4. संस्थान का निगमन**—(1) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उस नाम से वह वाद लाएगा तथा उसके विरूद्ध वाद लाया जाएगा ।

(2) संस्थान का गठन करने वाले निगमित निकाय में संस्थान की तत्समय शासी परिषद् का एक अध्यक्ष, एक निदेशक और अन्य सदस्य होंगे ।

(3) संस्थान का मुख्यालय गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में होगा ।

(4) संस्थान, किसी संस्थान निवेश की स्थापना भारत के भीतर या भारत के बाहर ऐसे अन्य स्थान पर कर सकेगा जो वह ठीक समझे :

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व राष्ट्रीय डिजाइन, संस्थान, अहमदाबाद के कर्नाटक राज्य के बैंगलुरू और गुजरात राज्य के गांधीनगर में स्थापित किए गए प्रत्येक निवेश को, संस्थान निवेश समझा जाएगा ।

**5. संस्थान के निगमन का प्रभाव**—इस अधिनियम के प्रारंभ से ही, --

(क) किसी विधि (इस अधिनियम से भिन्न) में या किसी संविदा या अन्य लिखत में सोसाइटी के प्रति किसी निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन निगमित संस्थान के प्रति निर्देश है ;

(ख) सोसाइटी की या उससे संबंधित सभी संपत्ति, स्थावर या जंगम, संस्थान में निहित होगी ;

(ग) सोसाइटी के सभी अधिकार और दायित्व संस्थान को अंतरित हो जाएंगे और उसके अधिकार और दायित्व होंगे ;

(घ) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व संस्थान के किसी निवेश के प्रति किसी निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस संस्थान निवेश के प्रति निर्देश है ;

(ङ) ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व, सोसाइटी द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, संस्थान में, जिसके अंतर्गत कर्नाटक राज्य में बेंगलुरू और गुजरात राज्य के गांधीनगर में अवस्थित संस्थान निवेश भी हैं, अपना पद या सेवा उसी अवधि तक, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तथा पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य-निधि और और अन्य मामलों के बारे में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों सहित धारण करेगा जो वह अधिनियम के अधिनियमित न किए जाने की और जब तक उसका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक ऐसी सेवा अवधि, पारिश्रमिक, निबंधनों और शर्तों को परिनियमों द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है, तब तक ऐसा करता रहेगा :

परंतु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है तो उसका नियोजन संस्थान द्वारा कर्मचारी के साथ की गई संविदा के निबंधनों के अनुसार या यदि उसमें इस निमित्त कोई उपबंध नहीं किया गया है तो संस्थान द्वारा स्थायी कर्मचारी की दशा में, उसे तीन मास के पारिश्रमिक के बराबर और अन्य कर्मचारी की दशा में, एक मास के पारिश्रमिक के बराबर प्रतिकर का संदाय करके समाप्त किया जा सकेगा ।

**6. संस्थान की शक्तियां**—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संस्थान निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात्—

(क) डिजाइन से संबंधित क्षेत्रों और विद्या शाखाओं में शिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण का उपबंध करना और ऐसे क्षेत्रों या विद्या शाखाओं में उसकी क्वालिटी और उत्कर्षता का विकास करना और उसकी अभिवृद्धि करना ;

(ख) डिजाइन से संबंधित सभी क्षेत्रों या विद्या शाखाओं में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियों डाक्टरेट और पश्च डाक्टरेट उपाधियों और अनुसंधान तक के पाठ्यक्रम विकसित करना ;

(ग) डिजाइन से संबंधित क्षेत्रों या विद्या शाखाओं में परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्रियां, डिप्लोमें और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां या पदवियां प्रदान करना ;

(घ) डिजाइन से संबंधित क्षेत्रों या विद्या शाखाओं में सम्मानित डिग्रियां, पुरस्कार या अन्य उपाधियां प्रदान करना ;

(ङ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां, पुरस्कार और पदक संस्थित करना और प्रदान करना ;

(च) फीस और अन्य प्रभार नियत करना, उनकी मांग करना और उन्हें प्राप्त करना ;

(छ) छात्रों के निवास के लिए छात्र-निवासों और छात्राओं की स्थापना, अनुरक्षण और प्रबंध करना ;

(ज) संस्थान के निवास का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना तथा छात्रों के अनुशासन को विनियमित करना तथा उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण और सांस्कृतिक तथा सामूहिक जीवन के संवर्धन की व्यवस्थाएं करना ;

(झ) शैक्षणिक और अन्य पदों को (निदेशक की दशा के सिवाय) संस्थित करना और उन पर नियुक्तियां करना ;

(ञ) परिनियम और अध्यादेश बनाना और उन्हें परिवर्तित, उपांतरित या विखंडित करना ;

(ट) विश्व के किसी भी भाग में की ऐसी शिक्षा या अन्य संस्थाओं के साथ, जिनके उद्देश्य पूर्णत: या भागत: संस्थान के उद्देश्यों के समान हैं, संकाय सदस्यों और विद्वानों के आदान-प्रदान द्वारा और साधारणतया ऐसी रीति से सहयोग करना जो उनके समान उद्देश्यों के लिए सहायक हों ;

(ठ) संस्थान और उद्योग के बीच डिजाइनरों और अन्य तकनीकी कर्मचारिवृंद के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करके और संस्थान द्वारा प्रायोजित और वित्तपोषित अनुसंधान के साथ-साथ परामर्शकारी परियोजनाओं को आरंभ करके शिक्षा जगत और उद्योग के बीच पारस्परिक क्रिया के लिए केंद्रक के रूप में कार्य करना ;

(ड) माल के उत्पाद और सेवाओं के लिए अच्छे डिजाइनों के सृजन के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान करने के लिए कार्यशालाओं या प्रयोगशालाओं या स्टूडियों को आधुनिक मशीनों और उपस्कारों सहित स्थापित, सृज्जित और अनुरक्षित करना और ऐसे संकर्मों के लिए और ऐसी कार्यशाला या प्रयोगशाला या स्टुडियों में सेवा, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य में लगे किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को संदाय करने के लिए निधियों का उपबंध करना ;

(ढ) साधारण या विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए ऐसे आविष्कार, सुधार या डिजाइन या मानकीकरण चिह्नों से संबंधित कोई पेटेंट या अनुज्ञप्ति अर्जित करना ;

(ण) डिजाइन से संबंधित क्षेत्रों और विद्या शाखाओं में परामर्शकारी कार्य आरंभ करना ;

(त) संस्थान के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए संस्थान की या उसमें निहित किसी संपत्ति के संबंध में ऐसी रीति में जो संस्थान उचित समझे, संव्यवहार करना ;

(थ) सरकार से दान, अनुदान, संदान या उपकृतियां प्राप्त करना और, यथास्थिति, वसीयतकर्ताओं, दाताओं या अंतरकों से स्थावर या जंगम संपत्तियों की वसीयत, संदान और अंतरण प्राप्त करना ;

(द) ऐसे व्यक्तियों की, जो सेवा, प्रशिक्षण या अनुसंधान कार्यकलापों में लगे हैं, या जिनके उनमें लगने की संभावना हैं को ऋण, छात्रवृत्तियां या अन्य धनीय सहायता प्रदान करके या अन्यथा शिक्षा को बढ़ावा देना और उसमें सुधार करना ;

(ध) औद्योगिक डिजाइन और सहबद्ध क्षेत्रों के विषय से संबंधित या उससे संबद्ध पुस्तकों, कागजपत्रों, नियतकालिक पत्रिकाओं, प्रदर्शों, फिल्मों, स्लाइडों, गैजटों, परिपत्रों और अन्य साहित्यिक वचन बंधों को तैयार करना, मुद्रित करना, प्रकाशित करना, जारी करना, अर्जित करना और परिचालित करना ;

(न) डिजाइन और संबद्ध विषयों से संबंधित साहित्य और फिल्मों, स्लाइडों, फोटोचित्रों, आदिप्ररूपों और अन्य सूचना के लिए संग्रहालयों, पुस्तकालयों और संग्रहणों को स्थापित करना, बनाना और अनुरक्षित करना ;

(प) ऐसे क्षेत्रों में, जो संस्थान ठीक समझे, सेवा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के बारे में भारत में या भारत के बाहर अध्ययन करने के लिए डिजाइनरों, इंजीनियरों (यांत्रिक या विद्युत या सिविल) वास्तुविदों, शिल्पकारों, तकनीकीजनों या अन्वेषकों को नामनिर्देशित करना ;

(फ) संस्थान के उद्देश्य के संबंध में कुशल व्यवसायिक, तकनीकी सलाहकारों, परामर्शदाओं, कर्मकारों या शिल्पकारों को रखना या नियोजित करना ;

(ब) कारीगरों, तकनीकीजनों और अन्य निर्माण कुशुल व्यक्तियों को पुरस्कार, वितीय या तकनीकी सहायता देकर प्रक्रियाओं, साधनों और गैजटों के ब्यौरे और विनिर्देश तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना ;

(भ) भवनों का सन्निर्माण और उनमें परिवर्तन, विस्तार, सुधार, मरम्मत, अभिवृद्धि या उपांतरण करना और उनमें प्रकाश, जल, जल निकास, फर्नीचर, फिटिंगों और अन्य उपसाधनों की व्यवस्था करना और उन्हें सज्जित करना ;

(म) धनराशि, प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति के बिना या संस्थान से संबंधित किसी भी जंगम या स्थावर संपत्तियों के बंधक, भार या आडमान या गिरवी के रूप में प्रतिभूति पर किसी अन्य रीति से उधार लेना और जुटाना ;

(य) ऐसी अन्य सभी बातें करना जो संस्थान के सभी या किन्हीं भी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संस्थान, कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन के बिना किसी भी स्थावर संपत्ति का किसी भी रीति से व्ययन नहीं करेगा ।

**7. संस्थान का सभी मूल-वंशों, पंथों और वर्गों के लिए खुला होना**—(1) संस्थान सभी स्त्रियों और पुरूषों के लिए चाहें वे किसी भी मूल-वंश, पंथ, जाति या वर्ग के हों, खुला होगा और सदस्यों, छात्रों, शिक्षकों या कर्मकारों को प्रवेश देने या उनकी नियुक्ति करने में या किसी अन्य के संबंध में किसी भी प्रकार से धार्मिक विश्वास या वृत्ति के बारे में कोई मापदंड या शर्त अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(2) संस्थान, किसी ऐसी संपत्ति की कोई ऐसी वसीयत, संदान या अंतरण स्वीकार नहीं करेगा जिसमें शासी परिषद् की राय में संस्थान की भावना और उद्देश्य के विरूद्ध कोई शर्तें या बाध्यताएं अंतर्वलित है ।

**8. संस्थान में शिक्षण कार्य**—(1) संस्थान और संस्थान निवेशों में सभी शिक्षण कार्य संस्थान द्वारा या उसके नाम से इस निमित्त बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार किए जाएंगे ।

**9. कुलाध्यक्ष**—(1) भारत का राष्ट्रपति संस्थान का कुलाध्यक्ष होगा ।

(2) कुलाध्यक्ष संस्थान या किसी संस्थान या किसी संस्थान निवेश के कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और उसके कार्यकलापों की जांच के लिए और उन पर रिपोर्ट ऐसी रीति से देने के लिए, जैसे कुलाध्यक्ष निदेश दे, एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा ।

(3) किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, कुलाध्यक्ष ऐसी कार्यवाही कर सकेगा और ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह रिपोर्ट में विमर्शित किन्हीं विषयों के संबंध में आवश्यक समझे और संस्थान ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्धकर होगा ।

**10. संस्थान के प्राधिकारी**—(1) संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे—

(क) शासी परिषद्

(ख) सिनेट; और

(ग) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकारी घोषित किए जाएं ।

**11. शासी परिषद्**—(1) शासी परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:--

(क) एक अध्यक्ष, जो कोई विख्यात शिक्षाविद् वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् या वृत्तिक या उद्योगपति होगा जिसे कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ख) निदेशक, पदेन ;

(ग) भारत सरकार के राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान से संबंद्ध मंत्रालय या विभाग में वित्तीय सलाहकार, पदेन ;

(घ) भारत सरकार के राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान से संबद्ध मंत्रालय या विभाग में संयुक्त सचिव, पदेन ;

(ङ) भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा से संबद्ध मंत्रालय या विभाग में संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति का एक प्रतिनिधि जिसे उस मंत्रालय या विभाग के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, पदेन ;.

(च) भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिक से संबद्ध मंत्रालय या विभाग में संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति का एक प्रतिनिधि जिसे उस मंत्रालय या विभाग के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, पदेन ;

(छ) उस राज्य से एक प्रतिनिधि, जिसमें संस्थान निवेश अवस्थित है, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ज) पांच वृत्तिक, वास्तुविद् इंजीनियरी, ललित कला, जन संपर्क माध्यम और प्रौद्योगिक के क्षेत्र में प्रत्येक से एक-एक जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(झ) एक उत्कृष्ट डिजाइनर, जिसे कुलाध्यक्ष द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ञ) एक प्रबंध विशेषज्ञ, जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ट) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का एक प्रतिनिधि, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ठ) तीन व्यक्ति, जिन्हें ऐसी कंपनियों, फर्मों या व्यष्टियों द्वारा, जिन्होंने संस्थान को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है या उसमें अंशदान किया हैं, सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से सिनेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा :

परंतु ऐसे नामनिर्देशन के लिए अर्हक होने के लिए वित्तीय सहायता या अंशदान और अन्य अपेक्षाओं की अवसीमा ऐसी होगी जो परिनियमों में उपबंधित की जाए; और

(ड) प्रत्येक संस्थान निवेश का संकायाध्यक्ष, पदेन ।

**12. शासी परिषद् के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि, रिक्तियां और उनको संदेय भत्ते**—(1) शासी परिषद् के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य (पदेन सदस्य से भिन्न) की पदावधि उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की होगी ।

(2) इस धारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय किसी पदेन सदस्य की पदावधि तक तक जारी रहेगी जब तक वह उस पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह सदस्य है ।

(3) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए शासी परिषद् के नामनिर्दिष्ट किसी सदस्य की पदावधि उस सदस्य की शेष अवधि तक जारी रहेगी जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है ।

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बाहर जाने वाला सदस्य जब तक कि शासी परिषद् अन्यथा निदेश न दे या जब तक पद पर बना रहेगा, जब तक कि किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता ।

(5) शासी परिषद् के सदस्य संस्थान से, ऐसे भत्तों के यदि कोई हों, हकदार होंगे, जो परिनियमों में उपबंधित किए जाएं, किंतु धारा 11 के खंड (ख) और खंड (ङ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न कोई भी सदस्य इस उपधारा के कारण किसी वेतन का हकदार नहीं होगा ।

**13. शासी परिषद् की बैठक**—(1) शासी परिषद् वर्ष में कम से कम चार बार ऐसे स्थान और समय पर बैठकें करेगी और अपनी बैठकों में वह कार्य संचालन के संबंध में ऐसी प्रक्रिया नियमों का पालन करेगी जो शासी परिषद् द्वारा अवधारित किए जाएं ।

**14. शासी परिषद् की शक्तियां और कृत्य**—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, शासी परिषद्, संस्थान के कार्यकलापों के साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगी और संस्थान की उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी, जिनका इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है और उसको सिनेट के कार्यों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शासी परिषद्—

(क) संस्थान के प्रशासन और कार्यकरण से संबंधित नीति विषयक प्रश्नों का विनिश्चय करेगी ;

(ख) भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्थान में नए संस्थान निवेश की स्थापना पर विनिश्चय करेगी ;

(ग) संस्थान में अध्ययन-पाठ्यक्रम संस्थित करेगी ;

(घ) शैक्षणिक और अन्य पद संस्थित करेगी और उन पर नियुक्तियां करेगी ;

(ङ) परिनियम बनाएगी ;

(च) अध्यादेशों पर विचार करेगी और उन्हें उपांतरित या रद्द करेगी ;

(छ) अगले वित्तीय वर्ष के लिए संस्थान, जिसके अंतर्गत प्रत्येक संस्थान निवेश भी है, की वार्षिक रिपोर्ट, उसके वार्षिक रिपोर्ट, उसके वार्षिक लेखाओं और बजट प्राक्कलनों पर, जैसे वह ठीक समझे, विचार करेगी और संकल्प पारित करेगी और उन्हें अपनी विकास योजनाओं के विवरण सहित केन्द्रीय सरकार को भेजेगी ;

(ज) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

(3) शासी परिषद् को ऐसी समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी जो वह इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तथा अपने कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक समझे ।

(4) शासी परिषद् को, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों और भारत में या भारत के बाहर अन्य लोक या निजी संगठनों या व्यष्टियों के साथ, संस्थान के लिए पारस्परिक रूप से करार पाए गए निबंधनों और शर्तों पर विन्यास, अनुदान, संदान या दान सुनिश्चित करने और प्रतिगृहीत करने के लिए ठहराव करने की शक्ति होगी :

परंतु अनुदान, संदान या दान की शर्तें यदि कोई हों, संस्थान की प्रकृति या उद्देश्यों और इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत या विरोध में नहीं होंगी ।

(5) शासी परिषद् को, सरकार ऐसे और अन्य लोक निकायों या प्राइवेट व्यष्टियों से, जो अंतरण के इच्छुक हैं, जंगम और स्थावर संपत्तियों, विन्यासों या अन्य निधियों को ऐसी किन्हीं तत्संबद्ध बाध्यताओं और वचनबंधों सहित, जो अधिनियम के उपबंध से असंगत न हों, क्रय द्वारा दान द्वारा, या ग्रहण करने अन्यथा ग्रहण करने या अर्जित करने की शक्ति होगी ।

(6) शासी परिषद्, इस प्रभाव के विनिर्दिष्ट संकल्प द्वारा अध्यक्ष को, कारबार के संचालन के लिए, अपनी उतनी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगी जितनी वह आवश्यक समझे ।

**15. सिनेट**—(1) संस्थान की सिनेट निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--

(क) निदेशक, पदेन, जो सिनेट का अध्यक्ष होगा ;

(ख) प्रत्येक संस्थान निवेश का संकायाध्यक्ष, पदेन ;

(ग) संस्थान और संस्थान निवेशों के ज्येष्ठ आचार्य ;

(घ) विज्ञान, इंजीनियरी और मानविकी क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र के विख्यात शिक्षाविदों में से एक-एक व्यक्ति यथा तीन व्यक्ति, जो संस्थान के कर्मचारी न हों, अध्यक्ष द्वारा, निदेशक के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और उनमें से कम से कम एक महिला होगी ;

(ङ) संस्थान का एक पूर्व छात्र, जिसे अध्यक्ष द्वारा निदेशक के परामर्श से नामनिर्दिष्ट, किया जाएगा ; और

(च) कर्मचारिवृंद के उतने अन्य सदस्य जितने परिनियमों में अधिकथित किए जाएं ।

**16. सिनेट के कृत्य**—(1) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संस्थान की सिनेट के पास नियंत्रण और साधारण विनियमन होगा और वह संस्थान में, शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के मानकों के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसको प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

**17. अध्यक्ष के कृत्य, शक्तियां और कर्तव्य**—(1) अध्यक्ष साधारणतया शासी परिषद् की बैठकों और संस्थान के दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा ।

(2) अध्यक्ष का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि शासी परिषद् द्वारा किए गए विनिश्चयों को कार्यान्वित किया जाए ।

(3) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का अनुपालन करेगा जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा सौंपे जाएं ।

**18. निदेशक**—(1) संस्थान के निदेशक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी जो विहित की जाएं ।

(2) निदेशक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी ।

(3) निदेशक संस्थान का प्रधान कार्यपालक अधिकारी होगा और—

(क) संस्थान के समुचित प्रशासन और शिक्षा देने तथा उसमें अनुशासन बनाए रखने ;

(ख) सभी संस्थान निवेशों के कार्यकलापों का समन्वय करने ;

(ग) संस्थान और प्रत्येक संस्थान निवेश की विकास योजनाओं की जांच करने और उनमें से उन्हें अनुमोदित करने जो आवश्यक समझे जाएं और ऐसी अनुमोदित योजनाओं की वित्तीय विवक्षाओं को व्यापक रूप से उपदर्शित भी करने ; और

(घ) संस्थान और प्रत्येक संस्थान निवेश वार्षिक बजट प्राक्कलनों की जांच करने और केन्द्रीय सरकार को उस प्रयोजन के लिए निधियं आबंटित करने की सिफारिश करने, के लिए उत्तरदायी होगा ।

(4) निदेशक ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा सौंपे जाएं ।

(5) निदेशक, शासी परिषद् को वार्षिक रिपोर्ट और लेखे प्रस्तुत करेगा ।

(6) केन्द्रीय सरकार को निदेशक को उसकी पदावधि के अवसान के पूर्व हटाने की यदि वह ऐसा करना समुचित समझे, शक्ति होगी ।

**19. संकायाध्यक्ष**—(1) प्रत्येक संस्थान निवेश के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जाएं और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अथवा निदेशक द्वारा सौंपे जाएं ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक संस्थान निवेश का संकायाध्यक्ष निदेशक के परामर्श से संस्थान निवेश की सभी शैक्षणिक, प्रशासनिक, अनुसंधान संबंधी और अन्य क्रियाकलापों को देखेगा ।

**20. कुलसचिव**—(1) संस्थान के कुलसचिव की नियुक्ति ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जाएं और वह संस्थान के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा, निधियों और संस्थान की ऐसी अन्य संपत्ति का, जो शासी परिषद् उसके भारसाधन में सुपुर्द करे, अभिरक्षक होगा ।

(2) कुलसचिव शासी परिषद्, सिनेट और ऐसी समितियों के सचिव के रूप में कार्य करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

(3) कुल सचिव अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा ।

(4) कुल सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अथवा निदेशक द्वारा सौंपे जाएं ।

**21. अन्य प्राधिकारियों और अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य**—(1) ऐसे प्राधिकारियों और अधिकारियों की उनसे भिन्न जिनका इसमें इसके पूर्व वर्णन किया गया है, शक्तियां और कर्तव्य परिनियमों द्वारा अवधारित किए जाएंगे ।

**22. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान**—(1) इस अधिनियम के अधीन संस्थान को अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा, विधि द्वारा इस निमित्त किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशियां का और ऐसी रीति में संदाय करेगी, जो वह उचित समझे ।

**23. संस्थान की निधि**—(1) संस्थान एक निधि बनाए रखेगा जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा,--

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सभी धनराशियां ;

(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी फीसें और अन्य प्रभार ;

(ग) संस्थान द्वारा अनुदानों, दानों, संदानों, उपकृतियों, वसीयतों या अंतरणों द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां ; और

(घ) संस्थान द्वारा किसी अन्य रीति में या किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त सभी धनराशियां ।

(2) निधि में जमा की गई सभी धनराशियां को ऐसे बैंकों में जमा किया जाएगा या उनका ऐसी रीति में विनिधान किया जाएगा जो संस्थान केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, विनिश्चय करे ।

(3) निधि का उपयोजन संस्थान के व्ययों को जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कृत्यों के निर्वहन में उपगत व्यय भी है, चुकाने के लिए किया जाएगा ।

**24. विन्यास निधि की स्थापना**—(1) धारा 23 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार संस्थान को—

(क) एक विन्यास निधि और विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी अन्य निधि की स्थापना करने का ; और

(ख) अपनी निधि में से धन को विन्यास निधि में या किसी अन्य निधि में अंतरित करने का, निदेश दे सकेगी ।

**25. लेखे और संपरीक्षा**—(1) संस्थान उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत तुलनपत्र भी है, ऐसे साधारण निदेशों के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके जारी किए जाएं, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जैसा विहित किया जाए ।

(2) संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी और उस संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय संस्थान द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो साधारणतया नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और उसे विशिष्टतया बहियां, लेखे, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज तथा कागजपत्र पेश किए जाने की मांग करने और संस्थान के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित संस्थान के लेखे, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

**26. पेंशन और भविष्य निधि**—(1) संस्थान अपने कर्मचारियों के, जिनके अंतर्गत निदेशक भी है, फायदे के लिए ऐसी पेंशन, बीमा, भविष्य निधियां, जो वह ठीक समझे, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों में अधिकथित की जाएं, गठित करेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी भविष्य निधि का गठन किया गया है, वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह कोई सरकारी भविष्य निधि है ।

**27. कर्मचारिवृंद की नियुक्ति**—(1) संस्थान के कर्मचारिवृंद की सभी नियुक्तियां, निदेशक की नियुक्ति के सिवाय, परिनियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित द्वारा की जाएंगी—

(क) शासी परिषद् यदि नियुक्ति शैक्षणिक कर्मचारिवृंद में ज्येष्ठ डिजाइनर या आचार्य के या उससे ऊपर के पद की जानी है या यदि नियुक्ति गैर शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के किसी काडर में की जानी है तो जिसका अधिकतम वेतनमान वही या उससे अधिक है जो कि ज्येष्ठ डिजाइनर या आचार्य का है ; और

(ख) निदेशक, किसी अन्य मामले में ।

**28. परिनियम**—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :--

(क) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना ;

(ख) अध्यापन विभागों का बनाया जाना, कार्यशालाओं, प्रयोगशालों और स्टुडियों की स्थापना ;

(ग) संस्थान, जिसमें संस्थान निवेश भी है, में पाठ्यक्रमों के लिए और संस्थान की डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्र परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीसें ;

(घ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्र-सहायता वृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों का संस्थित किया जाना ;

(ङ) संस्थान की शिक्षकों की अर्हताएं ;

(च) संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृंद का वर्गीकरण, उनकी नियुक्ति की पद्धति और सेवा के निबंधनों और शर्तों का अवधारण ;

(छ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण, जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए ;

(ज) संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृंद के फायदे के लिए पेंशन, बीमा और भविष्य निधियों का गठन ;

(झ) संस्थान और संस्थान निवेशों के प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां और कर्तव्य ;

(ञ) छात्र निवासों और छात्रावासों की स्थापना और अनुरक्षण ;

(ट) संस्थान के छात्रों के निवास की शर्तें तथा छात्र निवासों और छात्रावासों में निवास के लिए फीस और अन्य प्रभारों का उद्ग्रगहण ;

(ठ) शासी परिषद् के सदस्यों में की रिक्तियों को भरने की रीति ;

(ड) शासी परिषद् के अध्यक्ष और सदस्यों को संदत्त किए जाने वाले भत्ते ;

(ढ) शासी परिषद् के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन ;

(ण) शासी परिषद्, सिनेट या किसी समिति की बैठकें, ऐसी बैठकों में गणपूर्ति और उनके कारबार के संचालन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(त) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम के द्वारा परिनियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए ।

**29. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे**—(1) संस्थान के प्रथम परिनियमों की विरचना शासी परिषद् द्वारा कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी और उसकी एक प्रति यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

(2) शासी परिषद् समय-समय पर नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या परिनियमों को इस धारा में इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित या निरसित कर सकेगी ।

(3) प्रत्येक नए परिनियम या परिनियमों में परिवर्धन या किसी परिनियम के संशोधन या निरसन के लिए कुलाध्यक्ष का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा जो उस पर अनुमति दे सकेगा या अनुमति को विधारित कर सकेगा या उस परिषद् को विचार करने के लिए वापस भेज सकेगा ।

(4) कोई नया परिनियम या विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि उस पर कुलाध्यक्ष द्वारा अनुमति न दे दी गई हो ।

**30. अध्यादेश**—(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संस्थान के अध्यादेशों में निम्निलिखित सभी या किनहीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :--

(क) संस्थान, जिसके अंतर्गत संस्थान निवेश भी है, में छात्रों का प्रवेश ;

(ख) संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों मे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ;

(ग) संस्थान की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अभिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम ;

(घ) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को संस्थान की उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों तथा परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा तथा उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों का प्रदान किया जाना ;

(ङ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, छात्र सहायतावृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें ;

(च) परीक्षा निकाय, परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा कर्तव्य ;

(छ) परीक्षाओं का संचालन ;

(ज) संस्थान के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना ; और

(झ) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के द्वारा अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किया जाना है या उपबंधित किया जाए ।

**31. अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे**—(1) इस धारा में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, अध्यादेश सिनेट द्वारा बनाए जाएंगे ।

(2) सिनेट द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश उस तारीख से प्रभावी होंगे जो वह निर्दिष्ट करे किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश यथाशीघ्र शासी परिषद् को प्रस्तुत किया जाएगा और शासी परिषद् द्वारा उस पर उसकी अगली बैठक में विचार किया जाएगा ।

(3) शासी परिषद् को संकल्प द्वारा ऐसे किसी अध्यादेश को उपांतरित या रद्द करने की शक्ति होगी और ऐसा अध्यादेश ऐसे संकल्प की तारीख से तदनुसार, यथास्थिति, उपांतरित या रद्द किया गया समझा जाएगा ।

**32. माध्यस्थम् अभिकरण**—(1) संस्थान और उसके किसी भी कर्मचारी के बीच किसी संविदा से उदभूत होने वाले किसी विवाद को संबंधित कर्मचारी के अनुरोध पर या संस्थान के आग्रह पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा जो संस्थान

द्वारा नियुक्त एक सदस्य और कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य तथा कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक से मिलकर बनेगा ।

(2) माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(3) ऐसे किसी मामले की बाबत जिसे उपधारा (1) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किए जाने की अपेक्षा है किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी ।

(4) माध्यस्थम् अधिकरण को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(5) माध्यस्थम् से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में की कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थम् को लागू नहीं होगी ।

**अध्याय 3**

## प्रकीर्ण

**33. रिक्तियों, आदि द्वारा कार्यों और कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना**—(1) संस्थान या शासी परिषद् या सिनेट या इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन गठित किसी अन्य प्राधिकारी का कोई कार्य केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि—

(क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के चयन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणावगुण पर प्रभाव नहीं डालती है ।

**34. प्रत्योजित स्कीमें**—(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संस्थान को जब कभी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य अभिकरण से जिसके अंतर्गत ऐसा उद्योग भी है जो संस्थान द्वारा निष्पादित या विन्यासित की जाने वाली किसी अनुसंधान स्कीम या किसी परामर्शकारी कार्यक्रम या किसी शिक्षण कार्यक्रम या किसी पीठासीन आचार्य पद या किसी छात्रवृत्ति आदि को प्रायोजित करता है, निधियां प्राप्त होती हैं तो—

(क) प्राप्त रकम को संस्थान द्वारा संस्थान की निधि से पृथक् रखा जाएगा और उसका उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा ; और

(ख) उसको निष्पादित करने के लिए अपेक्षित कर्मचारिवृंद की भर्ती प्रायोजक संगठनों द्वारा नियत निबंधनों और शर्तों के अनुसार की जाएगी :

परंतु यह कि अनुपयोजित किसी धन को इस अधिनियम की धारा 24 के अधीन स्थापित विन्यास निधि में अंतरित कर दिया जाएगा ।

**35. डिग्रियां आदि प्रदान करने की संस्थान की शक्ति**—(1) संस्थान को इस अधिनियम के अधीन डिग्रियां, डिप्लोमें, प्रमाणपत्र और विद्या संबंधी अन्य विशेष उपाधियां प्रदान करने की शक्ति होगी, जो कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रदान की गई ऐसी तत्स्थायी डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और विद्या संबंधी अन्य विशेष उपाधियों के समतुल्य होंगी ।

**36. निदेश देने की केंद्रीय सरकार की शक्ति**—(1) केंद्रीय सरकार, संस्थान को इस अधिनियम के प्रभावी प्रशासन के लिए निदेश जारी कर सकेगी और संस्थान ऐसे निदेशों का पालन करेगा ।

**37. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन संस्थान का लोक प्राधिकारी होना**—(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के उपबंध संस्थान को उसी रूप में लागू होंगे मानो वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 2 के खंड (ज) के अधीन परिभाषित लोक प्राधिकारी हो ।

**38. नियम बनाने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति**—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा,--

(क) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक की नियुक्ति की रीति और उसकी सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(ख) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन संस्थान की लेखा पुस्तकें रखी जाएंगी ।

(ग) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

**39. संक्रमणकालीन उपबंध**—(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी—

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व संस्थान के रूप में कार्य कर रही शासी परिषद् तब तक इस प्रकार कार्य करना जारी रखेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन संस्थान के लिए नई शासी परिषद् का गठन नहीं कर दिया जाता है, किन्तु इस अधिनियम के अधीन नई शासी परिषद् के गठन पर ऐसे गठन के पूर्व पद धारण करने वाले शासी परिषद् के सदस्य, पद पर नहीं रह जाएंगे ;

(ख) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व उस रूप में कार्य कर रही नीति और योजना समिति को इस अधिनियम के अधीन गठित सिनेट समझा जाएगा और वह तब तक इस प्रकार कार्य करती रहेगी जब तक इस अधिनियम के अधीन संस्थान के लिए नई सिनेट का गठन नहीं कर दिया जाता ;

(ग) जब तक इस अधिनियम के अधीन प्रथम परिनियम या अध्यादेश नही बनाए जाते तब तक इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त सोसाइटी के नियम और विनियम, अनुदेश, मार्गदर्शक सिद्धांत और उपविधियां संस्थान को और, यथास्थिति, बेंगलूरू या गांधीनगर स्थित संस्थान निवेशों को, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, लागू बनी रहेंगी ।

**40. परिनियमों और अध्यादेशों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना**—(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम या अध्यादेश में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो, तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम या अध्यादेश नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु परिनियम या अध्यादेश के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(3) परिनियम या अध्यादेश बनाने की शक्ति में, उस तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्वतर की न हो, परिनियमों या अध्यादेशों या उनमें से किसी को भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने की शक्ति भी है किन्तु ऐसे किसी परिनियम या अध्यादेश को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिससे ऐसे किसी व्यक्ति के, जिसे ऐसे परिनियम या अध्यादेश लागू हो, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ।

**41. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति**—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने मे कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत हों :

परंतु ऐसा कोई आदेश नियत दिन से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।